भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3389

उत्तर देने की तारीख 20.03.2025

दादरा और नगर हवेली में परिवारों का पुनर्वास

3389. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दादरा और नगर हवेली के मधुबन बांध क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय परिवार उक्त बांध के विस्तार कार्य के कारण विस्थापित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे विस्थापित परिवारों की संख्या कितनी है साथ ही इन परिवारों में संबंधित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन सभी परिवारों का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया जा चुका है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परिवारों के नए स्थानों का ब्यौरा क्या है साथ ही सरकार द्वारा उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ड.) पुनर्वास किए जाने के लिए शेष परिवारों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा ऐसे परिवारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उनके पुनर्वास में विलंब के क्या कारण हैं और ऐसे परिवारों का पुनर्वास कब तक होने की संभावना है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (छ): भारत के संविधान [सातवीं अनुसूची - सूची ii (राज्य सूची) - प्रविष्टि संख्या (18)] के तहत भूमि और उसका प्रबंधन राज्यों के विशेष विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है।

दादरा एवं नगर हवेली में मधुबन बांध के विस्तार कार्य के कारण जनजातीय परिवारों के विस्थापन से संबंधित जानकारी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखी गई है। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि दादरा एवं नगर हवेली के मधुबन बांध क्षेत्र में रहने वाले परिवारों, जो मधुबन बांध के विस्तार कार्य के कारण विस्थापित हुए थे, के संबंध में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और मुआवजे का मामला वर्ष 1978-1980 का मामला है। इस परियोजना से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन दादरा एवं नगर हवेली के भूमि अधिग्रहण विभाग द्वारा किया जाता है तथा विभाग को प्रश्न में उठाए गए विशिष्ट बिंदुओं पर उत्तर देने के लिए न्यूनतम दस दिन की आवश्यकता है।

*****